भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3333
7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के लिए वित्तपोषण

3333. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान राज्य में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तपोषण का वर्तमान अनुपात क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन श्रेणियों के परिवारों को शामिल किया जाता है और प्रत्येक पात्र परिवार को अधिकतम कितनी राशि तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) राज्य में अब तक उक्त योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों या परिवारों की कुल संख्या कितनी है और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उक्त योजना पर किए गए वार्षिक व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)-2011 के परिवारों सहित सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वास्तविक बीमा प्रीमियम दर पर केंद्रीय प्रीमियम अंशदान प्रदान करती है या प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (एमएएवाई) राजस्थान राज्य सरकार की योजना है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के बजट से किया जाता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, राजस्थान राज्य में कुल 66.37 लाख परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति परिवार के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य में योजना के तहत में 1.73 लाख आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) एवं आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) तथा 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 23.55 लाख वरिष्ठ नागरिक भी कवर किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत केन्द्र सरकार पात्र परिवारों के लिए प्रति वर्ष 1,052 रुपये प्रति निर्धारित प्रीमियम उच्चतम सीमा के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना की लागत केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है।

दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन हेतु राजस्थान राज्य को केन्द्रीय हिस्से के रूप में कुल 2,563.15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत वर्षवार जारी निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**निर्गत निधि (रुपये करोड़ में)**
2019-20	200.07
2020-21	258.31
2021-22	96.39
2022-23	416.96
2023-24	606.04
2024-25	429.94
2025-26	450.27
2026-27 *(31.07.2026 की स्थिति अनुसार)*	105.17
